भारत सरकार

पंचायती राज मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. 316

दिनांक 10 दिसम्बर, 2019 को उत्तरार्थ

पंचायत स्तर पर विकास कार्य

*316. डॉ० रामशंकर कठेरिया:

क्या **पंचायती राज** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को पंचायत स्तर पर किए जा रहे विकास कार्यों में भ्रष्टाचार होने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने ऐसी शिकायतों के स्थायी समाधान के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(ग) इस संबंध में उत्तर प्रदेश के इटावा जिले से वर्ष 2014 से आज की तारीख तक प्राप्त शिकायतों की संख्या कितनी है?

उत्तर

पंचायती राज मंत्री
(श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रखा है।

पंचायत स्तर पर विकासात्मक कार्यों के संबंध में लोकसभा के दिनांक 10.12.2019 के तारांकित प्रश्न संख्या 316 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) जी, हां। पंचायत स्तरों पर केन्द्रीय सार्वजनिक शिकायत निवारण एवं मॉनटरिंग पद्धति (सीपीजीआरएएमएस) पोर्टल (https://pgportal.gov.in/) तथा ऑफलाइन के माध्यम से किए गए विकासात्मक कार्यों में भ्रष्टाचार के बारे में मंत्रालय को शिकायतें प्राप्त होती हैं। भारत के संविधान ने सरकार की एक संघीय संरचना की स्थापना की व्यवस्था की है तथा संविधान के प्रावधानों के अनुसार पंचायत 'स्थानीय शासन' होने के कारण राज्य का विषय है तथा भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची का एक हिस्सा है। भारत के संविधान के भाग IX के अनुच्छेद 243 के द्वारा पंचायतों की स्थापना का अधिदेश प्रदान किया गया है और पंचायत संबंधित राज्यपंचायत राज अधिनियमों के माध्यम से स्थापित की जाती है व संचालित होती है। चूंकि पंचायतें राज्य सूची में राज्य का विषय है इसलिए पंचायतों के बारे में भ्रष्टाचार सहित सभी शिकायतें उचित कार्रवाई के लिए संबंधित राज्य सरकारों को अंतरित की जाती हैं।

(ख) विभिन्न शिकायतों के संबंध में सुधारात्मक कार्रवाई करने के साथ-साथ पारदर्शी एवं उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए मंत्रालय ने राज्यों को ग्राम पंचायतों द्वारा किए गए कार्यों/ क्रियाकलापों का सोशल ऑडिट करने के लिए दिशा निर्देश दिये हैं ।

इसके अतिरिक्त, पंचायती राज मंत्रालय ने ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना (एमएमपी) के अधीन एक समग्र ई-शासन प्रणाली स्थापित की है और कार्यान्वयित की है जिसमें पंचायतों के लिए कोर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन्स का एक सूइट विकसित किया है। ये एप्लीकेशन्स आयोजना (प्लान प्लस), बजट व्यवस्था, कार्यान्वयन (एक्शन प्लस), एकाउंटिंग (प्रिया सॉफ्ट), मॉनटरिंग, सोशल ऑडिट आदि का समाधान करता है। ग्राम पंचायतें राज्य के पंचायती राज अधिनियमों के द्वारा ग्राम पंचायतों को आवंटित विषयों तथा संसाधनों को सम्मिलित कर एक ग्राम पंचायत के लिए एक वार्षिक ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) तैयार कर ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित की जाती है। वर्ष के दौरान जीपीडीपी में वर्णित तथा प्राथमिकता वाले कार्यों को ग्राम पंचायतों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। इन कार्यों / ग्राम पंचायतों के द्वारा किये गए कार्यों की गतिविधियों की निगरानी व क्रियान्वयन एक्शनसॉफ्ट एप्लिकेशन के माध्यम से किया जाता है और भुगतान प्रियासॉफ्ट एप्लिकेशन व सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) द्वारा किया जाता है । वित्त मंत्रालय के द्वारा पीएफएमएस विकसित कर क्रियान्वित किया जा रहा है । पीएफएमएस वित्तीय प्रबंधन का तंत्र है जो कोर बैंकिगं समाधान का समावेश कर निचले स्तर तक केन्द्रीकृत योजनाओं के क्रियान्वयन को प्रभावी ढंग से ट्रैकिंग कर योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता व दक्षता लाता है।

योजना के क्रियान्वयन की प्रगति की निगरानी और योजना क्रियान्वयन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एमएक्शनसॉफ्ट मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से कार्यों की प्रगति के विभिन्न चरणों के दौरान परिसंपत्तियों की जियो-टैगिंग भी की जाती है।

(ग) मंत्रालय में उपलब्ध जानकारी के अनुसार 1 जनवरी, 2014 से 5 दिसंबर, 2019 तक उत्तर प्रदेश के इटावा जिले से आठ शिकायतें ऑनलाइन सीपीजीआरएएमएस पोर्टल पर प्राप्त हुई हैं। इन सभी शिकायतों को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को उचित कार्रवाई के लिए अग्रेषित कर दिया गया है।

*****